[2022] 2 एस. सी. आर 433

ए.

कृष्णमूर्ति @गुनोडू और अन्य बनाम।

कर्नाटक राज्य

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 288) 16 फरवरी, 2022

बी.

[संजीव खन्ना और बेला एम**.** त्रिवेदी**,** जे**.** जे।**]**

दंड संहिता, 1860:एसएस।302 और 34-हत्या-सामान्य इरादा-तीन अभियुक्त-पीड़ित-मृत यू/एस की हत्या के लिए अपीलार्थी-अभियुक्त (के, टी, जी) की दोषसिद्धि।302 आर/डब्ल्यू एस।34 और यू/एस. एस. अपराधों के लिए।447, 504, 506, 341 – उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि की-इसलिए तत्काल अपील-आयोजित की गई:अपीलार्थी-के द्वारा मृत पीड़ित पर हमला भयावह, क्रूर और क्रूर था-उसने अपने पैरों और हाथों का उपयोग करके मृतक को नीचे गिरा दिया था और चार पसलियों को तोड़ दिया था, जिससे मृतक की रीढ़ की हड्डी, छाती और गर्दन को चोट लगी थी और घायल कर दिया था-चोटें मृत्यु का कारण बनने के लिए प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में पर्याप्त थीं-चूंकि पीड़ित-मृतक की मृत्यु परिणामस्वरूप हत्या थी और अपीलार्थी-के द्वारा की गई चोटों का प्रत्यक्ष परिणाम था, इसलिए उसे उपरोक्त धाराओं के तहत सही तरीके से दोषी ठहराया गया था, जिसमें एस।302 – जहाँ तक अपीलार्थी-टी और अपीलार्थी-जी का संबंध है, उनके कार्यों को मुख्य रूप से अपीलार्थी-के द्वारा की गई हिंसा से नहीं जोड़ा जा सकता है-अपीलार्थी-टी और जी ने मृतक के गिरने के बाद उस पर हमला नहीं किया था और मृतक को लगी चोटों के लिए जिम्मेदार नहीं थे जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी-अपीलार्थी-के द्वारा हमला और परिणाम उनके लिए अप्रत्याशित थे-अपीलार्थी-टी और जी इस आधार पर संदेह के लाभ के हकदार हैं कि यह निश्चित रूप से नहीं माना जा सकता है कि उनका इरादा समान था-इसलिए, उन्हें यू/एस द्वारा दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।300 या यहाँ तक कि एस।299 भारतीय दण्ड संहिता सी.-उनकी दोषसिद्धि को यू/में परिवर्तित कर दिया जाता हैs.323 r/ws।34, हालाँकि, यू/एस. एस. के तहत व्यक्तिगत अपराधों के लिए उनकी दोषसिद्धि। 447, 504, 506 और 341 कायम है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

दंड संहिता, 1860:धारा 34-एस की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए-सामान्य इरादे की प्रयोज्यता।34, अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने के लिए बाध्य है कि किसी व्यक्ति को दूसरे के आपराधिक कार्य के लिए परोक्ष रूप से दोषी ठहराए जाने से पहले एक सामान्य इरादा मौजूद था-अंतिम कार्य सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में किया जाना चाहिए-सामान्य इरादे के लिए एक पूर्व-व्यवस्थित योजना की आवश्यकता होती है, जो ए हो सकती है

एच.

433

434 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस. सी. आर.

यहां तक कि हमले से ठीक पहले या उसके दौरान भी-सामान्य इरादे को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष पूर्व समारोह या परिस्थितियों के प्रत्यक्ष प्रमाण पर भरोसा कर सकता है जो आवश्यक रूप से उस निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं-हालांकि, दोषपूर्ण तथ्यों को आरोपी की निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए और किसी अन्य उचित परिकल्पना द्वारा स्पष्टीकरण देने में असमर्थ होना चाहिए।

बी.

दंड संहिता, 1860:एस. 34-सामान्य इरादा-सिद्धांत-एस के लिए।34 आवेदन करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि आपराधिक कार्य किए जाने से पहले योजना को पूर्व-व्यवस्थित किया जाना चाहिए या काफी समय के लिए तैयार किया जाना चाहिए-वास्तविक कार्य होने से ठीक एक मिनट पहले सामान्य इरादा बनाया जा सकता है-सामान्य इरादा आवश्यक रूप से एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है क्योंकि इसके लिए मन की पूर्व बैठक की आवश्यकता होती है-ऐसे मामलों में, आम तौर पर प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होगा और ज्यादातर मामलों में, क्या कोई सामान्य इरादा मौजूद है या नहीं, यह साबित तथ्यों से निष्कर्ष निकालकर निर्धारित किया जाना चाहिए-इसके लिए घटना के समय और बाद में सह-प्रतिभागियों या अपराधियों के पूर्ववृत्त, आचरण की जांच की आवश्यकता होती है-जिस तरह से आरोपी आया, हमला किया, प्रकृति और चोटों का प्रकार, सह-हमलावरों/अपराधियों का हथियार, आचरण या कार्य।34 संतुष्ट हैं।

सी.

डी.

ई.

दंड संहिता, 1860:धारा 34-सह-अपराधी की देयता-एक सह-अपराधी, जो एक समान इरादा रखता है, केवल उस हद तक उत्तरदायी होगा जब वह अंतिम कार्य की संभावना या संभावना की कल्पना कर सकता था या कर सकता था-यदि किया गया अंतिम परिणाम या अपराध स्पष्ट रूप से दूर है और सामान्य इरादे से असंबद्ध है, तो वह उत्तरदायी नहीं होगा-यह परीक्षण स्पष्ट रूप से तथ्य और परिस्थिति विशिष्ट है और कोई स्ट्रैट जैकेट सार्वभौमिक सूत्र लागू नहीं किया जा सकता है -धारा 34 एक सह-अपराधी, जिसने अपराध में भाग लिया था, को संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर समान रूप से उत्तरदायी बनाती है।34 लागू करने के लिए, सह-अपराधियों के बीच सामान्य इरादा होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उद्देश्य का समुदाय और सामान्य डिजाइन या पूर्व-व्यवस्थित योजना होनी चाहिए।

एफ.

जी.

एच.

435

कृष्णामूर्ति @गुनोडू और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य ए

ए.

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:**1.** अपीलार्थी-के द्वारा किए गए विशिष्ट कृत्यों में कहा गया है कि पीड़ित-मृत व्यक्ति के नीचे गिरने के बाद, उसने अपने पैरों और हाथों से उसकी गर्दन पर लात मारी और हमला किया।पीडब्लू-**1** और पीडब्लू-**4** द्वारा अपदस्थ अपीलार्थी-के की भूमिका पर संस्करण को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पीडब्लू-**9** के बयान से पुष्टि मिलती है जिसने पोस्टमॉर्टम किया था।अपीलार्थी-के द्वारा हमला, जो हालांकि किसी भी हथियार से लैस नहीं था, भयावह, क्रूर और क्रूर था।उसने अपने पैरों और हाथों का उपयोग करके मृतक को नीचे धकेल दिया था और उसकी चार पसलियों को तोड़ दिया था, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी, छाती और गर्दन घायल हो गई थी।यह देखते हुए कि चोट लगने का इरादा था, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा **300** का तीसरा अंग आकर्षित हो जाएगा।चोटें प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं।मृतक की मृत्यु अपीलार्थी-के द्वारा की गई चोटों के परिणामस्वरूप और प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में हत्या है। **[**पैरा **3** और **4] [438-**सी-डी, एफ-एच**]**

बी.

सी.

डी.

2. अपीलार्थी-टी और अपीलार्थी-जी ने मृतक के गिरने के बाद उस पर हमला नहीं किया था और वे मृतक को लगी चोटों के लिए जिम्मेदार नहीं थे जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी।अपीलार्थी-टी और अपीलार्थी-जी इस आधार पर संदेह के लाभ के हकदार हैं कि यह निश्चित रूप से नहीं माना जा सकता है कि उनका सामान्य इरादा था, अर्थात अपीलार्थी-के द्वारा मृतक को गिरने के बाद लगी चोटें।इसके बाद उन्होंने शारीरिक रूप से हमला करके या मृतक को कोई चोट पहुँचाकर भाग नहीं लिया।उन्होंने अपीलार्थी-के को उसके द्वारा किए गए हमले में सुविधा और सहायता नहीं दी।यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि वे अपीलार्थी-के द्वारा क्रूर हमले की पूर्वकल्पना कर सकते थे, जिसने अपने घुटनों को गर्दन पर रखा था और मृतक की छाती पर कूदकर चोट पहुँचाई थी जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी।स्पष्ट रूप से, वे अपीलार्थी-के में शामिल नहीं हुए थे जब उन्होंने कार्रवाई की थी और खड़े रहे थे।इस बात का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि उनके कार्य, यानी हाथ पकड़ना और मृतक के पैरों को खींचना जिससे वह नीचे गिर जाए, इस सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किए गए थे कि अपीलार्थी-के इसके बाद मृतक की गर्दन पर अपना पैर रख देगा, उसकी छाती को कुचल देगा और पसलियों को तोड़ देगा।उनके कृत्यों को मुख्य रूप से अपीलार्थी-के द्वारा की गई हिंसा से नहीं जोड़ा जा सकता है। दिया गया है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

अपीलार्थी-टी और अपीलार्थी-जी द्वारा किए गए कार्य, अपीलार्थी-के द्वारा हमला और परिणामी परिणाम अप्रत्याशित थे।इसलिए, उन्हें भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा **300** या यहां तक कि धारा **299** के तहत इस आधार पर अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है कि उन्होंने भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा **34** के आवेदन पर समझे गए सामान्य इरादे को साझा किया। नतीजतन, उनकी दोषसिद्धि को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा **34** के साथ पठित धारा **323** में परिवर्तित कर दिया जाता है और उन्हें उसमें निर्दिष्ट अधिकतम एक वर्ष की सजा दी जाती है।यह न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा **447,504,506** और **341** के तहत व्यक्तिगत अपराधों के लिए अपीलार्थी-टी और अपीलार्थी-जी की दोषसिद्धि और उपरोक्त धाराओं के तहत लगाए गए दंड को भी बरकरार रखता है, जो तीन साल तक के कठोर कारावास और चूक शर्तों के साथ जुर्माना हैं। **[**पारस **7,20,21] [441-**बी**; 452-**एफ-एच**; 453-**ए-ई**]**

बी.

सी.

सुरेश और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2001) 3**

एससीसी 673:[2001] 2 एससीआर 263; तुकाराम गणपत

पंडारे बनाम महाराष्ट्र राज्य **(1974) 4** एस**.** सी**.** सी**. 544;** रामास्वामी अय्यंगार बनाम तमिलनाडु राज्य **(1976) 3**

डी.

एससीसी 779:[1976] 3 एस. सी. आर. 876; इब्राहिम शेख और

अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ए**.** आई**.** आर**. 1964** एस**.** सी**. 1263:[1964] 6** एस**.** सी**.** आर**. 172;** कृष्णन और एक अन्य बनाम स्टेट ऑफ

केरल (1996) 10 एस. सी. सी. 508:[1996] 5 पूरक।एससीआर 405;

सुरेंद्र चौहान बनाम मध्य प्रदेश राज्य **(2000)**

ई.

4 एससीसी 110:[1996] 5 पूरक।एस. सी. आर. 405; मिथु सिंह बनाम

पंजाब राज्य (2001) 4 एससीसी 193; राजेश कुमार बनाम राज्य

हिमाचल प्रदेश (2008) 15 एस. सी. सी. 705:[2008] 14 एस. सी. आर. 234-पर निर्भर।

पुलिस निरीक्षक**,** तमिलनाडु द्वारा अरुण बनाम राज्य **(2008)**

एफ.

15 एससीसी 501:[2008] 17 एस. सी. आर. 279; हरदेव सिंह और

एक अन्य बनाम पंजाब राज्य (1975) 3 एस. सी. सी. 731; धरम पाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (1978) 4 एस. सी. सी. 440

– संदर्भित किया गया।

बशीर बनाम राज्य आकाशवाणी 1953 सभी 668; बरेंद्र कुमार

जी.

घोष बनाम राजा**-**सम्राट **4** आई**.** एल**.** आर**. (1925) 52** कैल**. 1974;** राजा सम्राट बनाम बरेंद्र कुमार घोष **AIR 1924**

कलकत्ता **257-**संदर्भित।

एच.

437

कृष्णामूर्ति @गुनोडू और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य ए

ए.

मामला कानून संदर्भ

[2001] 2 एससीआर **263**

उस पर भरोसा करें

पैरा **9**

[1964] 6 एससीआर **172**

उस पर भरोसा करें

पैरा **10**

(1974) 4 एस**.** सी**.** सी**. 544**

उस पर भरोसा करें

पैरा **11**

बी.

[1976] 3 एससीआर **876**

उस पर भरोसा करें

पैरा **11**

पैरा **11**

[1996] 5 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 405** ने **[1996] 5** सप्लीमेंट पर भरोसा किया।एस**.** सी**.** आर**. 405** पर निर्भर

पैरा **14**

(2001) 4 एससीसी **193**

उस पर भरोसा करें

पैरा **15**

सी.

[2008] 14 एससीआर **234**

उस पर भरोसा करें

पैरा **16 [2008]** पैरा **17** एस**.** सी**.** आर**. 279** पैरा **17 (1975) 3** एस**.** सी**.** सी**. 731** पैरा **17 (1978) 4** एस**.** सी**.** सी**. 440** पैरा **17** को संदर्भित

डी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 288।

2017 की आपराधिक अपील No.200147 में कालाबुरागी पीठ में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 20.02.2021 के निर्णय और आदेश से।

ई.

बसव प्रभु पी. पाटिल, वरिष्ठ अधिवक्ता, शारंगौड़ा पाटिल, सुश्री सुप्रिता शारंगौड़ा, अमन कांत मिश्रा, गीत आहूजा, मेसर्स एस-लीगल एसोसिएट्स, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

शुभ्रांशु पाधी, आशीष यादव, रक्षित जैन, विशाल बंशल, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

एफ.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजीव खन्ना**,** जे।

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. कृष्णमूर्ति (कृष्ण मूर्ति के रूप में भी वर्णित), गोपाल और थिम्मप्पा की यह अपील 2017 की आपराधिक अपील संख्या 200147 में पारित 20 फरवरी 2021 के फैसले पर आपत्ति उठाती है, जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ, कालबुर्गी पीठ ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, 'आई. पी. सी.') की धारा 447,504,506 और 341 के तहत अपराधों के लिए व्यक्तिगत रूप से धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि की है।

जी.

एच.

3. साक्ष्य की विस्तार से जांच करने के बाद, हम इस बात से सहमत हैं कि कृष्णमूर्ति को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302 सहित उपरोक्त धाराओं के तहत सही तरीके से दोषी ठहराया गया है। सभी चश्मदीद गवाह, चन्नम्मा (पीडब्लू-1), रामांजनेय (पीडब्लू-4), दुल्लैया (पीडब्लू-6) और डोड्डा नरसिम्हा (पीडब्लू-7) की गवाही, कृष्णमूर्ति को अपराधी के रूप में फंसाते हैं जिसने मृतक-वेंकटरामा के गिरने के बाद उस पर हमला किया था।आगामी पैराग्राफ में गवाही के हमारे विश्लेषण को देखते हुए, हमें पूरी तरह से दुल्लैया (पीडब्लू-6) और डोड्डा नरसिम्हा (पीडब्लू-7) के बयानों पर भरोसा करने में आपत्ति है।लेकिन हमें कृष्णमूर्ति को फंसाने वाले चन्नम्मा (पीडब्लू-1) और रामांजनेय (पीडब्लू-4) के बयानों को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।हमने बाद में उनके बयानों के प्रासंगिक भागों को पुनः प्रस्तुत किया है।इस स्तर पर यह रोकने के लिए पर्याप्त है कि कृष्णमूर्ति के विशिष्ट कृत्य यह हैं कि वेंकटरामा के गिरने के बाद, उन्होंने अपने पैरों और हाथों से उन्हें लात मारी थी और उनकी गर्दन पर हमला किया था।चन्नम्मा (पीडब्लू-1) और रामांजनेय (पीडब्लू-4) द्वारा पदच्युत कृष्णमूर्ति की भूमिका पर संस्करण को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (प्रदर्शनी पी-6) और डॉ. शरणबसव (पीडब्लू-9) के बयान से पुष्टि मिलती है जिन्होंने पोस्टमॉर्टम किया था।वेंकटरामा को गर्दन के क्षेत्र में लाल नीले रंग की चोट लगी थी और छाती के बाईं ओर लाल रंग की चोट लगी थी।आंतरिक विच्छेदन से पता चला था कि धमनियों के आसपास गर्दन की मांसपेशियों में बहुत अधिक रक्तस्राव हुआ था जो टूट गए थे।बाईं ओर की पसलियाँ 4,5,6 और 7 टूट गई थीं।तने के यूट्रल हिस्से को दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया था।सी-5, सी-6 और सी-7 के स्तर पर रीढ़ की हड्डी दूषित, एडेमेटस और लम्बी थी।मौत का कारण कई चोटों के परिणामस्वरूप रक्तस्राव सदमे के रूप में माना गया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

4. कृष्णमूर्ति द्वारा किया गया हमला, जो हालांकि किसी भी हथियार से लैस नहीं था, भयावह, क्रूर और क्रूर था।उन्होंने अपने पैरों और हाथों का उपयोग करके वेंकटरामा को नीचे धकेल दिया था और उनकी चार पसलियों को तोड़ दिया था, जिससे मृतक की रीढ़ की हड्डी, छाती और गर्दन घायल हो गई थी।यह देखते हुए कि चोट लगने का इरादा था, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 300 का तीसरा अंग आकर्षित हो जाएगा।डॉ. शरणबसव (पीडब्लू-9) की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और बयान छाती क्षेत्र में लगी चोटों, दम घुटने और हड्डियों के फैक्चर के कारण मृत्यु का कारण साबित करते हैं।मृत्यु तात्कालिक थी, जैसा कि चन्नम्मा (पीडब्लू-1) और रामांजनेय (पीडब्लू-4) द्वारा अपदस्थ किया गया है।चोटें प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में

मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं।वेंकटरामा की मृत्यु कृष्णमूर्ति द्वारा की गई चोटों के परिणामस्वरूप और प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में हत्या है।

एफ.

जी.

एच.

439

कृष्णमूर्ति @गुनोडू और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य [संजीव खन्ना, जे.] ए.

ए.

5. यह हमें गोपाल और थिम्मप्पा की भूमिका और कृत्यों पर लाता है और क्या उन्हें वेंकटरामा की हत्या के लिए व्यक्तिगत रूप से दोषी ठहराया जा सकता है।हम दुल्लैयाह (पीडब्लू -6) और डोड्डा नरसिम्हा (पीडब्लू-7), जो शब्दशः समान हैं, और इसलिए, संदेह है कि उक्त गवाहों को प्रेरित किया गया था।हालाँकि, हम घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति पर संदेह नहीं करेंगे क्योंकि उनकी उपस्थिति स्वाभाविक थी, वे किसान थे जो आस-पास के खेतों में खेती कर रहे थे।वास्तविक घटना पर वे दोनों पदच्युत हो गए हैं:

बी.

"जब मैं रास्ते में था, वेंकटरामा, उनकी पत्नी और उनका बेटा रामनजिन्या (एस. आई. सी.) गंगवारा रोड पर जमीन पर थे।फिर,

सी.

आरोपी थिम्मप्पा, 'ए' (नाबालिग होने के नाते पहचान को दबाया गया)

वेंकटरमण के हाथ पकड़े हुए थे।अभियुक्त गोपाल वेंकटरमण के पैरों को नीचे खींच रहा था और इस तरह वह अपनी पीठ के बल गिर गया।फिर, जब वेंकटरमण (एस. आई. सी.) नीचे गिर गए तो गोपाल, कृष्णमूर्ति ने हाथों से हमला किया, पैरों से लात मारी और अपने हाथों से हमला किया।उस समय, मैं रामनजिन्या (एस. आई. सी.), डोड्डा नरसिम्हालु के साथ मौजूद था।इसलिए हमने बचाने की कोशिश नहीं की क्योंकि अभियुक्तों ने हमें उनके पास नहीं जाने की धमकी दी थी।"

डी.

दुल्लैया (पीडब्लू-6) और डोड्डा नरसिम्हा (पीडब्लू-7) ने अपनी जिरह में हिचकिचाहट के साथ स्वीकार किया था कि उन्हें नहीं पता था कि आरोपी 'ए' और थिम्मप्पा में से किसने मृतक का हाथ पकड़ा था और किस ने मृतक के पैर खींचे थे जिससे वह गिर गया था।उन्होंने गवाही दी कि आरोपी 'वेंकटरामा' ने दोनों पैरों से लात मारी और हाथों से हमला किया।यह

कथन गलत है और एक टंकण संबंधी त्रुटि हो सकती है क्योंकि वेंकटरामा मृतक थे न कि आरोपी।हालाँकि, बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्तों में से एक ने दोनों पैरों से लात मारी थी और मृतक पर अपने हाथों से हमला किया था, इस तथ्य को चन्नम्मा (पीडब्लू-1) और रामांजनेय (पीडब्लू-4) ने पुष्टि की है।

ई.

एफ.

6. चन्नम्मा (पीडब्लू-1) ने घटना और अभियुक्त के कृत्यों और भूमिका पर अपने मुख्य परीक्षण में बयान दिया हैः

जी.

“आरोपी नंबर 3 थिम्मप्पा और आरोपी नंबर 4 'ए' ने मेरे पति के दोनों हाथ पीछे कर दिए और उन्हें पकड़ लिया।आरोपी नंबर 2 गोपाल ने मेरे पति को अपने पैर से नीचे खींचा। आरोपी नंबर 1 कृष्णमूर्ति ने मेरे पति की गर्दन पर अपने बाएं पैर से मुहर लगा दी और उस पर कूद गया।”

एच.

अपनी जिरह में उसने इस सुझाव का खंडन किया कि थिम्मप्पा और 'ए' ने न तो उसके पति के हाथ मुड़े थे और न ही पकड़े थे और गोपाल ने उसे अपने पैरों से नीचे नहीं खींचा था। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि कृष्णमूर्ति ने अपने पति के पैरों पर कूदकर पैर नहीं मारे थे।

रामांजनेय (पीडब्लू-4), जो लगभग बारह वर्ष के थे, जब उनके साक्ष्य दर्ज किए गए थे, कहते हैं कि वे अपने माता-पिता के साथ उनकी खेत की भूमि की कटाई कर रहे थे और सज्जे की फसल के ढेर लगा रहे थे।लगभग दोपहर में चारों आरोपी मौके पर आए और भागने की कोशिश करने वाले अपने पिता को धमकी दी थी।इसके बादः

बी.

“चारों ने उसका पीछा किया और थिम्मप्पा पर आरोप लगाया और 'ए' ने मेरे पिता के दोनों हाथ पकड़े हुए थे।आरोपी गोपाल ने मेरे पिता के दोनों पैर पकड़े और उन्हें खींचा।फिर, मेरे पिता ने विनती की और अपना सिर नीचे करके गिर गए।आरोपी कृष्णमूर्ति ने अपने हाथों

और पैरों से लात मारी और गर्दन पर भारी हमला किया।उस समय, जब मेरी माँ उसे बचाने के लिए आगे बढ़ीं, तो सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने हमें जान से मारने की धमकी दी।फिर उसी के डर से हम आगे नहीं बढ़े।अभियुक्त थिम्मप्पा ने बताया कि मेरे पिता मर चुके हैं और चले गए हैं।"

सी.

डी.

7. हम चन्नम्मा (पीडब्लू-1) और रामांजनेय (पीडब्लू-4) द्वारा दिए गए संस्करणों को स्वीकार करेंगे, हालांकि कुछ मामूली अतिशयोक्ति हो सकती है।हालाँकि, जो बात स्पष्ट रूप से स्पष्ट है, और जिसे दुल्लैया (पीडब्लू-6) और डोड्डा नरसिम्हा (पीडब्लू-7) सहित सभी चश्मदीद गवाह स्वीकार करते हैं, वह यह है कि आरोपी निहत्थे थे और उनके पास एक छड़ी भी नहीं थी।यह वेंकटरामा की हत्या के लिए पूर्व नियोजित हमले की अनुपस्थिति का संकेत देता है।इसके अलावा, थिम्मप्पा और गोपाल की भूमिकाएं वेंकटरामा के गिरने के बाद कृष्णमूर्ति द्वारा किए गए क्रूर हमले से अलग हैं।चन्नम्मा (पीडब्लू-1) और रामांजनेय (पीडब्लू-4) द्वारा दिए गए संस्करणों के अनुसार थिम्मप्पा और 'ए' की भूमिकाएं वेंकटरामा के हाथों को पकड़ने और मोड़ने तक सीमित थीं।गोपाल ने मृतक के पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लिया था।दुल्लैया (पीडब्लू-6) और डोड्डा नरसिम्हा (पीडब्लू-7) के अनुसार, गोपाल और कृष्णमूर्ति ने तब वेंकटरामा पर हमला किया था, लेकिन चन्नम्मा (पीडब्लू-1) और रामांजनेय (पीडब्लू-4) के संस्करणों के अनुसार, केवल कृष्णमूर्ति ने हमला किया था, गोपाल ने नहीं।वे सभी एकजुट होकर कहते हैं कि वेंकटरामा के गिरने के बाद थिम्मप्पा ने हमले में भाग नहीं लिया था।उपरोक्त विसंगति को देखते हुए और ऊपर दर्ज किए गए कारणों से दुल्लैया (पीडब्लू-6) और डोड्डा नरसिम्हा (पीडब्लू-7) द्वारा दिए गए संस्करणों पर संदेह करते हुए, हम ए को स्वीकार करते हैं।

ई.

एफ.

जी.

एच.

कि यह अकेले कृष्णमूर्ति ही थे जिन्होंने कार्रवाई की, मृतक को लात मारी और उसके हाथों और पैरों से हमला किया और उसके बाएं पैर को उसकी गर्दन पर रख दिया।वह अपनी छाती पर भी कूद गया था।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और डॉ. शरणबसव (पीडब्लू-9) के बयान में

कृष्णमूर्ति की चोटों के कारण मृतक की मौत को जिम्मेदार ठहराया गया है।मृतक के हाथों, बाहों या पैरों में कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ था।इस प्रकार, हम स्वीकार करते हैं कि थिम्मप्पा और गोपाल ने वेंकटरामा के गिरने के बाद उन पर हमला नहीं किया था और वे वेंकटरामा को लगी चोटों के लिए जिम्मेदार नहीं थे जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई थी।

बी.

8. आपराधिक कानून में अंतर्निहित बुनियादी धारणा या आधार व्यक्तिगत दोष का सिद्धांत है।एक व्यक्ति उस कार्य या लेनदेन के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार है जिसमें वह व्यक्तिगत रूप से संलग्न है या किसी अन्य तरीके से भाग लिया है।हालाँकि, ऐसे विभिन्न तरीके और क्षमताएँ हैं जिनमें एक व्यक्ति अपराध में भाग ले सकता है।वह उकसाने वाला हो सकता है, एक सहायक हो सकता है या अन्यथा अपराध के निष्पादन में सहायता कर सकता है। भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 में साझा इरादे के सिद्धांत को शामिल किया गया है, यानी दो अपराधियों के बीच सामान्य डिजाइन, जो दूसरे या अन्य प्रतिभागियों को भी मुख्य या प्रमुख अपराधी के रूप में बराबर या संयुक्त अपराधी बनाता है।सवाल यह उठता है कि क्या थिम्मप्पा और गोपाल को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के तहत धारा 300 के तहत हत्या करने या भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 304 के तहत अपराध करने के लिए समान इरादे के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

सी.

डी.

ई.

9. सुरेश और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, 2 आर. पी. सेठी,

जे. ने समान इरादे के सवाल पर अपने सहमत निर्णय में (अपने और बी. एन. अग्रवाल, जे. के लिए) कहा हैः

“38. दंड संहिता, 1860 की धारा 34 आपराधिक न्यायशास्त्र में प्रत्यावर्ती दायित्व के सिद्धांत को मान्यता देती है।यह एक व्यक्ति को उस अपराध की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाता है जो उसके द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया था जिसके साथ उसने सामान्य इरादा साझा किया था।यह साक्ष्य का एक नियम है और एक ठोस अपराध नहीं बनाता है।यह धारा सामान्य ज्ञान के इस सिद्धांत को वैधानिक मान्यता देती है कि यदि दो से अधिक व्यक्ति जानबूझकर संयुक्त रूप से एक काम करते हैं, तो यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि उनमें से प्रत्येक ने इसे व्यक्तिगत रूप से किया था।इस बात का कोई लाभ नहीं है कि एक सामान्य इरादे में पूर्व संगीत कार्यक्रम की आवश्यकता होती है, जिसमें भाग लेने वाले अभियुक्त की पूर्व निर्धारित योजना की आवश्यकता होती है।

एफ.

जी.

1 हमने एक बेहतर वाक्यांश के अभाव के लिए उक्त शब्दों का उपयोग किया है।भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 इस तरह के भेद को स्वीकार नहीं करती है।

2 (2001) 3 एस. सी. सी. 673

एच.

एक अपराध।इस तरह की पूर्व योजना या पूर्व योजना मौके पर या अपराध करने के दौरान विकसित हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण परीक्षा यह है कि ऐसी योजना को अपराध का गठन करने वाले अधिनियम से पहले होना चाहिए।सामान्य इरादा पहले या घटना के दौरान और पल की गति पर बनाया जा सकता है।प्रत्येक मामले में एक सामान्य इरादे का अस्तित्व तथ्य का प्रश्न है जिसे मुख्य रूप से मामले की परिस्थितियों से निष्कर्ष के रूप में साबित किया जाना चाहिए।

बी.

39. दंड संहिता, 1860 (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) की धारा 34 को आकर्षित करने के लिए प्रमुख विशेषता अनुपस्थिति में भागीदारी का तत्व है जिसके परिणामस्वरूप अंतिम "आपराधिक कार्य" होता है।धारा 34 के बाद के भाग में निर्दिष्ट "अधिनियम" का अर्थ है अंतिम आपराधिक कार्य जिसके साथ अभियुक्त पर सामान्य इरादे को साझा करने का आरोप लगाया जाता है।इसलिए, अभियुक्त को सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किए गए अंतिम आपराधिक कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।इस धारा में सभी अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अंतिम आपराधिक कृत्य के लिए जिम्मेदार बनने के लिए अलग से कार्य करने की परिकल्पना नहीं की गई है।यदि ऐसी व्याख्या स्वीकार की जाती है, तो धारा 34 का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा।

सी.

डी.

40. समान इरादे को आगे बढ़ाने में अपराध में भागीदारी सभी अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अंतिम आपराधिक कार्य के अलावा कुछ स्वतंत्र आपराधिक कार्य की कल्पना नहीं कर सकती है, क्योंकि उस व्यक्तिगत अधिनियम के लिए कानून संहिता के अन्य प्रावधानों के तहत ऐसे अभियुक्त को जिम्मेदार बनाने का ध्यान रखता है।धारा 34 में प्रयुक्त "अधिनियम" शब्द

एकल अधिनियम के रूप में कृत्यों की एक श्रृंखला को दर्शाता है।कानून के तहत जो आवश्यक है वह यह है कि समान इरादे वाले अभियुक्त व्यक्ति घटना स्थल पर शारीरिक रूप से मौजूद होने चाहिए और यह दिखाया जाना चाहिए कि उन्होंने इच्छित आपराधिक कार्य से खुद को हतोत्साहित नहीं किया है, जिसके लिए वे समान इरादे रखते थे।धारा 34 के तहत दोषसिद्धि को घटना स्थल से केवल दूरी से बाहर नहीं किया जा सकता है।हालांकि, रचनात्मक इरादे के अनुमान पर तभी पहुंचना होगा जब अदालत न्यायिक दासता के साथ यह मान सके कि आरोपी ने उस परिणाम की पूर्व-कल्पना की होगी जो सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में आया था।शत्रुघ्न पातर बनाम सम्राट मामले में पटना उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने कहा कि धारा 34 तभी लागू की जा सकती है जब कोई अदालत कुछ निश्चितता के साथ यह मानती है कि किसी विशेष अभियुक्त ने उस परिणाम को लाने के लिए दूसरों के साथ मिलकर पूर्वकल्पित या पूर्व नियोजित किया होगा।”

ई.

एफ.

जी.

एच.

443

कृष्णमूर्ति @गुनोडू और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य [संजीव खन्ना, जे.] ए.

ए.

10. इस स्तर पर उपयुक्त पहले के संदर्भ में होगा

इब्राहिम शेख और अन्य बनाम पश्चिम राज्य मामले में इस न्यायालय का निर्णय

बंगाल **3,** जिसने बरेंद्र कुमार में न्यायिक आयुक्त द्वारा व्याख्या की गई अभिव्यक्ति "अधिनियम" पर निम्नलिखित उद्धरण को अनुमोदन के साथ संदर्भित किया

घोष बनाम राजा**-**सम्राट **4:**

बी.

“आपराधिक कार्य का अर्थ है आपराधिक व्यवहार की एकता, जिसके परिणामस्वरूप कुछ होता है, जिसके लिए एक व्यक्ति दंडनीय होगा, यदि यह सब अकेले ही किया गया था अर्थात एक आपराधिक अपराध।

भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के तहत यह "आपराधिक कार्य" लागू होता है, जहां सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कार्य किया जाता है।आपराधिक अपराध अंतिम परिणाम या परिणाम है लेकिन यह व्यक्तिगत या कई

आपराधिक कृत्यों की उपलब्धि के माध्यम से हो सकता है।प्रत्येक व्यक्तिगत कार्य अंतिम अपराध का गठन या परिणाम नहीं हो सकता है।जब किसी व्यक्ति पर कई अभियुक्तों द्वारा हमला किया जाता है, तो "अंतिम आपराधिक कार्य" आम तौर पर उस अपराध का गठन करेगा जिसका परिणाम अंततः मृत्यु, साधारण चोट, गंभीर चोट आदि हो सकता है। यह आपराधिक कार्य, अर्थात कई व्यक्तियों की कार्रवाई या कार्य का अंतिम परिणाम, परिणाम या परिणाम है।प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 38 में निर्धारित अपने स्वयं के कार्य के लिए जिम्मेदार होगा। हालांकि, धारा 34 और 35 दायरे का विस्तार करती है और यह निर्धारित करती है कि यदि आपराधिक कार्य सामान्य इरादे का परिणाम है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जिसने सामान्य इरादे से आपराधिक कार्य का एक हिस्सा किया है, अपराध के लिए जिम्मेदार होगा।यह तदनुसार था

सी.

डी.

ई.

इब्राहिम शेख और ओ. आर. एस. (ऊपर) में निम्नानुसार आयोजितः

“8. ...बशर्ते कि एक समान इरादा हो, कई अपराधियों द्वारा किए गए पूरे परिणाम का श्रेय प्रत्येक अपराधी को दिया जा सकता है, भले ही व्यक्तिगत रूप से उन्होंने अलग-अलग कार्य किए हों, विविध या समान।इस परीक्षण को वर्तमान मामले में लागू करते हुए, यदि सभी अपीलार्थीगण ने अब्दुल शेख को बुरी तरह से पीटने का सामान्य इरादा साझा किया और कुछ ने उसे पकड़ लिया और अन्य ने उसे अपने हथियारों से पीटा, बशर्ते कि सामान्य इरादा स्वीकार कर लिया जाए, तो वे सभी पूरे आपराधिक कार्य के लिए जिम्मेदार होंगे, अर्थात, गैर-इरादतन हत्या का आपराधिक अपराध जो हत्या के बराबर नहीं था, चाहे उनके द्वारा निभाई गई भूमिका कुछ भी हो।धारा द्वारा अपेक्षित सामान्य इरादा वह इरादा नहीं है जो एस।299 अपने पहले उल्लेख में

एफ.

जी.

3 ए. आई. आर 1964 एस. सी 1263

4 आई. एल. आर. (1925) 52 कैल. 197.

एच.

भाग।वह इरादा अपराधी के लिए व्यक्तिगत है जब तक कि इसे किसी पूर्व संगीत कार्यक्रम द्वारा दूसरों के साथ साझा नहीं किया जाता है, जिस मामले में धारा 34 या 35 फिर से लागू होती है।यहाँ, आम इरादा अब्दुल शेख को पीटना था, और वह आम इरादा, जैसा कि हमने ऊपर माना है, उन सभी द्वारा साझा किया गया था।यह कि उन्होंने विविध कार्य किए, आम तौर पर अपने स्वयं के कार्यों के लिए उनकी जिम्मेदारी को व्यक्तिगत बना देगा, लेकिन सामान्य इरादे के कारण, वे कुल प्रभाव के लिए जिम्मेदार होंगे जो उन्होंने एस में तीन शर्तों में से किसी के लिए उत्पन्न किया था।299, आई. पी. सी. ने उनके मामले में आवेदन किया। यदि यह पहली दो शर्तों का मामला था, तो मामला सरल है।वे इरादे और एस की बात करते हैं।34 इरादे की भी बात करता है।

बी.

सी.

9. सवाल यह है कि क्या एस का दूसरा भाग है।304 लागू किया जा सकता है।दूसरा भाग निस्संदेह ज्ञान की बात करता है और उस इरादे का उल्लेख नहीं करता है जिसे पहले भाग में अलग किया गया है।लेकिन ज्ञान मृत्यु की संभावना का ज्ञान है।क्या यह कहा जा सकता है कि जब तीन या चार व्यक्ति एक व्यक्ति को भारी लाठियों से पीटना शुरू करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति उसे गंभीर रूप से पीटने के सामान्य इरादे से उसे मारता है और प्रत्येक को यह जानकारी होती है कि मौत पिटाई का संभावित परिणाम था, एस की आवश्यकताएँ।304, उनमें से प्रत्येक के मामले में भाग II संतुष्ट नहीं है?यदि यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक अपीलार्थीगण के मामले में इस प्रकार का ज्ञान संभव था, तो इसका कोई कारण नहीं है। 304, भाग II को s के साथ नहीं पढ़ा जा सकता है।34. आम इरादा आपराधिक कार्य, यानी पिटाई के कार्य के संबंध में है।यदि पिटाई का परिणाम पीड़ित की मृत्यु है, और यदि प्रत्येक हमलावर को यह जानकारी है कि मौत आपराधिक कृत्य का संभावित परिणाम है, यानी, पिटाई, तो इसका कोई कारण नहीं है।34 या एस।35 एस के दूसरे भाग के साथ नहीं पढ़ा जाना चाहिए।304 प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाना।”

डी.

ई.

एफ.

11. तदनुसार, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए, अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने के लिए बाध्य है कि किसी व्यक्ति को दूसरे के आपराधिक कार्य के लिए अप्रत्यक्ष रूप से दोषी ठहराए जाने से पहले एक सामान्य इरादा था। अंतिम कार्य सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए।सामान्य इरादे के लिए एक पूर्व-व्यवस्थित योजना की आवश्यकता होती है, जिसे हमले से ठीक पहले या उसके

दौरान भी बनाया जा सकता है।सामान्य इरादे को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष पूर्व संगीत कार्यक्रम या परिस्थितियों के प्रत्यक्ष प्रमाण पर भरोसा कर सकता है जो आवश्यक रूप से उस निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं।हालांकि, दोषपूर्ण तथ्य ए होना चाहिए

जी.

एच.

445

कृष्णमूर्ति @गुनोडू और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य [संजीव खन्ना, जे.] ए.

अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत और किसी अन्य उचित परिकल्पना द्वारा स्पष्टीकरण देने में असमर्थ।भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 33 के अनुसार, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 में एक आपराधिक कार्य में कार्य करने में चूक शामिल है।इस प्रकार, एक सह-अपराधी जिसने कुछ नहीं किया है, लेकिन अपराध किए जाने के दौरान दरवाजे के बाहर खड़ा रहा है, अपराध के लिए उत्तरदायी हो सकता है क्योंकि अपराधों में अन्य चीजों की तरह "वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े होते हैं और प्रतीक्षा करते हैं"।इस प्रकार, सामान्य इरादा या अपराध साझा करना एक प्रत्यक्ष या गुप्त कार्य द्वारा, सक्रिय उपस्थिति द्वारा या दूर के स्थान पर हो सकता है, लेकिन अधिनियम के आयोग में संयुक्तता का एक उपाय होना चाहिए। यहां तक कि एक व्यक्ति जो कोई विशेष कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन पीड़ित को किसी भी संभावित सहायता को रोकने के लिए केवल एक गार्ड के रूप में खड़ा है, वह भी सामान्य इरादे का दोषी हो सकता है।5 हालांकि, आम तौर पर शारीरिक हिंसा से जुड़े अपराध के मामले में, वास्तविक अपराध स्थल पर शारीरिक उपस्थिति को दोषसिद्धि के लिए सुरक्षित माना जाता है, लेकिन यह तब अनिवार्य नहीं हो सकता है जब पूर्व-निर्धारित योजना साबित हो और संदेह से परे साबित हो।सामान्य योजना के निष्पादन में सुविधा दूर से संभव हो सकती है और आपराधिक कार्य में वास्तविक भागीदारी के समान हो सकती है।हालाँकि, यह सार और प्रमाण कि आपराधिक कार्रवाई में सह-प्रतिभागियों के मन की एक साथ सहमति थी, अनिवार्य है।

बी.

सी.

डी.

और आवश्यक।6 कृष्णन और एक अन्य बनाम केरल राज्य में, 7

यह देखा गया है कि भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के संचालन के लिए एक स्पष्ट कार्य कानून की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना चाहिए

कि संबंधित व्यक्तियों ने सामान्य इरादे को साझा किया है, जिसे सिद्ध तथ्यों से भी एकत्र किया जा सकता है।

ई.

12. सुरेश के मामले (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने यह भी जांच की कि क्या एक निष्क्रिय सह-अपराधी भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के तहत उत्तरदायी हो सकता है। यह मामला के फैसले से निम्नलिखित अंश को अनुमोदन के साथ उद्धृत करता है

रिचर्डसन**,** जे**.** राजा सम्राट बनाम बरेंद्र कुमार घोष **8:**

एफ.

“मुझे ऐसा लगता है कि धारा 34 तत्काल अपराधी और उस समय मौजूद उसके सहयोगियों के संयुक्त कार्य के रूप में किए गए कार्य को मानती है और उपयोग की गई भाषा उस अर्थ के लिए अतिसंवेदनशील है।भाषा बोलने के एक सामान्य तरीके का अनुसरण करती है।आर. वी. मेंसैल्मन के तीन आदमी लापरवाही से एक निशान पर गोलीबारी कर रहे थे।उनमें से एक-यह ज्ञात नहीं था कि किस ने-दुर्भाग्य से निशान के पीछे एक लड़के को मार डाला था।उन सभी को दोषी ठहराया गया था

जी.

5 तुकाराम गणपत पंडारे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1974) 4 एस. सी. सी. 544 6 देखें रामास्वामी अय्यंगार बनाम तमिलनाडु राज्य, (1976) 3 एस. सी. सी. 779

7 (1996) 10 एस. सी. सी. 508 8 एयर 1924 कलकत्ता 257

एच.

नरसंहार।लॉर्ड कॉलरिज, सी. जे. ने कहाः‘मौत तीनों की कार्रवाई के कारण हुई और वे सभी जिम्मेदार हैं।’ जे. स्टीफन ने कहाः‘‘ऐसी परिस्थितियों में' राइफल चलाना एक अत्यधिक खतरनाक कार्य है, और सभी जिम्मेदार हैं; क्योंकि वे विचाराधीन स्थान पर गोली चलाने के लिए एकजुट होते हैं और वे सभी खतरे को रोकने के लिए कोई भी सावधानी बरतने से बच जाते हैं।

बी.

इसके अलावा, धारा 34,35 और 37 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, और वाक्यांश की धारा 35 में 'ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक जो अधिनियम में शामिल होते हैं' और वाक्यांश की धारा 37 में, 'उन कार्यों में से किसी एक को अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से करना' धारा 34 के सही अर्थ को इंगित करता है।इसलिए धारा 38 'आपराधिक कृत्य में शामिल या संबंधित कई व्यक्तियों' की बात करती है।अभिव्यक्ति के विभिन्न तरीके भ्रमित करने वाले हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन धाराओं को दायित्व के एक सुसंगत सिद्धांत के रूप में माना जाना चाहिए।अन्यथा परिणाम अव्यवस्थित होगा।

सी.

इसे अलग तरह से कहने के लिए, एक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जब सभी इसे करने में प्रमुख होते हैं, और यह मायने नहीं रखता कि वे प्रथम श्रेणी में प्रधान हैं या द्वितीय श्रेणी में प्रधान, दोनों श्रेणियों के बीच कोई अंतर नहीं है।धारा 34 का यह दृष्टिकोण इसे सामान्य धारणाओं के अनुरूप एक बोधगम्य सामग्री देता है।विरोधी दृष्टिकोण में पहचान या अधिनियम की समानता पर निर्भर एक भेद शामिल है जो, यदि बिल्कुल भी स्वीकार्य है, तो कानून के लिए पूरी तरह से विदेशी है, दीवानी और आपराधिक दोनों, और कहीं भी नहीं जाता है।”

डी.

ई.

13. इस स्तर पर, हम बशीर बनाम राज्य 9 के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के एक पुराने फैसले का उल्लेख करना चाहेंगे, जो उदाहरण देकर भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 में उपयोग किए गए "आगे बढ़ने में" शब्दों के दायरे और महत्व को निम्नलिखित तरीके से समझाता हैः

एफ.

“18. "आगे बढ़ाने में" शब्दों के उपयोग से पता चलता है कि धारा 34 वहां भी लागू होती है जहां वास्तव में किया गया कार्य वास्तव में साजिशकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने वाला कार्य नहीं है, अन्यथा, शब्दों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी।आम इरादा एक कार्य करना हो सकता है और दूसरे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

जी.

9 ए. आई. आर. 1953 ऑल 668 ए

एच.

कृष्णमूर्ति @गुनोडू और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य [संजीव खन्ना, जे.] ए.

सामान्य इरादा।यह एक प्रारंभिक कार्य हो सकता है जिसे सामान्य इरादे को प्राप्त करने से पहले किया जाना आवश्यक हो; या सामान्य इरादे को प्राप्त करने के बाद इसे करना आवश्यक हो सकता है या यह सामान्य इरादे को प्राप्त करते समय किया जा सकता है।मोटर कार में घटनास्थल पर जाना वहाँ अपराध करने के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने का एक कार्य है; लेकिन अगर वहाँ जाते समय चालक भाग जाता है और एक पैदल यात्री को मार देता है, तो टक्कर केवल आकस्मिक है और पैदल यात्री का दौड़ना सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में नहीं है। हालाँकि, यदि एक षड्यंत्रकारी जो एक्स के खिलाफ हिंसा से जुड़े अपराध को करना चाहता है, उसे वाई द्वारा बाधित किया जाता है और एक्स पर पहुंचने के लिए वाई को एक तरफ फेंक दिया जाता है, तो वाई पर हमला सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है; अपराध पर रसेल, पृष्ठ 557 और 558 देखें।" उपरोक्त उद्धरण इस बात पर जोर देता है कि यह आवश्यक है कि प्रत्येक सह-अपराधी का भाग लेने का आवश्यक इरादा होना चाहिए या अन्यथा आवश्यक जागरूकता या ज्ञान होना चाहिए कि अपराध सामान्य योजना को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है।इससे यह भी पता चलता है कि कुछ मामलों में केवल मुख्य अभियुक्त के साथ जाने से सामान्य इरादा स्थापित नहीं हो सकता है।एक सह-अपराधी, जो एक समान इरादे को साझा करता है, केवल उस हद तक उत्तरदायी होगा जब वह अंतिम कार्य की संभावना या संभावना की कल्पना करता है या कर सकता है या करना चाहिए था।यदि अंतिम परिणाम या अपराध स्पष्ट रूप से दूरस्थ है और सामान्य इरादे से असंबद्ध है, तो वह उत्तरदायी नहीं होगा।यह परीक्षण स्पष्ट रूप से तथ्य और परिस्थिति विशिष्ट है और कोई स्ट्रैटजैकेट सार्वभौमिक सूत्र लागू नहीं किया जा सकता है।बशीर के मामले (उपरोक्त) में उद्धृत दो उदाहरण प्रासंगिक हैं और भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 की व्यापक और व्यापक सीमाओं की व्याख्या करते हैं और साथ ही चेतावनी देते हैं कि किसी व्यक्ति को दूरस्थ संभावनाओं के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए दायरे का विस्तार नहीं किया जाना चाहिए, जो संभावित नहीं थे और जिनकी परिकल्पना नहीं की जा सकती थी।ये उदाहरण आपराधिक कृत्यों और सह-अपराधी के इरादे और प्रधान या मुख्य अपराधी द्वारा किए गए वास्तविक अपराध के बीच के अंतर को भी सामने लाते हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

14. सुरेंद्र चौहान बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में 10

देखा गयाः“11. धारा 34 के तहत एक व्यक्ति को अपराध को सुविधाजनक बनाने या बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपराध के वास्तविक कार्य में शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिए, जिसका कार्य करने का उद्देश्य है -

जी.

10 (2000) 4 एस. सी. सी 110

एच.

448

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 2 एस सी आर।

संयुक्त आपराधिक उद्यम।उन लोगों की ऐसी उपस्थिति जो किसी न किसी तरह से सामान्य योजना के निष्पादन में सहायता करते हैं, अपने आप में आपराधिक कार्य में वास्तविक भागीदारी के समान है।धारा 34 का सार एक विशेष परिणाम लाने के लिए आपराधिक कार्रवाई में भाग लेने वाले व्यक्तियों के मन की एक साथ सर्वसम्मति है।इस तरह की सहमति मौके पर विकसित की जा सकती है और इस तरह से इरादा किया जा सकता है

बी.

उन सभी के द्वारा।(रामास्वामी अय्यंगार बनाम टी. एन. राज्य) द.

एक समान इरादे के अस्तित्व का अनुमान मामले की उपस्थित परिस्थितियों और पक्षों के आचरण से लगाया जा सकता है।सामान्य इरादे का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण आवश्यक नहीं है। समान उद्देश्य के लिए अपराध करने में भागीदारी को भी सभी मामलों में साबित करने की आवश्यकता नहीं है।सामान्य इरादा किसी घटना के दौरान भी विकसित हो सकता है।(राजेश गोविंद जागेशा बनाम महाराष्ट्र राज्य) भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 को लागू करने के लिए इस तथ्य के अलावा कि दो या दो से अधिक आरोपी होने चाहिए, दो कारकों को साबित किया जाना चाहिएः((i) सामान्य इरादा, और (ii) अपराध करने में अभियुक्त की भागीदारी।यदि एक समान इरादा साबित हो जाता है, लेकिन किसी भी स्पष्ट कार्य के लिए व्यक्तिगत अभियुक्त को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है, तो धारा 34 को आकर्षित किया जाएगा क्योंकि अनिवार्य रूप से इसमें प्रत्यावर्ती दायित्व शामिल है, लेकिन यदि अपराध में अभियुक्त की भागीदारी साबित हो जाती है और एक सामान्य इरादा अनुपस्थित है, तो धारा 34 को लागू नहीं किया जा सकता है।प्रत्येक मामले में, एक समान इरादे का प्रत्यक्ष प्रमाण होना संभव नहीं है।प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से इसका अनुमान लगाया जाना चाहिए।”

सी.

डी.

ई.

15. मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य, 11 में इस न्यायालय ने मिट्ठू सिंह को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत बरी कर दिया, लेकिन शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 27 के तहत उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए कहा कि सामान्य इरादे के बारे में निष्कर्ष आसानी से नहीं निकाला जाना चाहिए; दोषपूर्ण दायित्व केवल तभी उत्पन्न हो सकता है जब इस तरह का निष्कर्ष आश्वासन की डिग्री के साथ निकाला जा सके।उक्त मामले के तथ्यों में, यह देखा गया कि आश्वासन की आवश्यक मात्रा का अभाव था।साथ ही, यह भी देखा गया कि समान इरादे के प्रश्न की जांच करते समय, न्यायालय को सचेत और जागरूक होना चाहिए कि प्रत्यक्ष साक्ष्य एकत्र करना और प्रस्तुत करना असंभव नहीं तो मुश्किल है और अधिकांश मामलों में इरादे के बारे में निष्कर्ष अभियुक्त के कृत्यों और आचरण और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों से लिया जाएगा जो उपलब्ध हैं।इस न्यायालय के संपूर्ण अवलोकन या अनुपात को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

एफ.

जी.

11 (2001) 4 एससीसी 193 ए

एच.

449

कृष्णमूर्ति @गुनोडू और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य [संजीव खन्ना, जे.] ए.

16. राजेश कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, 12 में यह न्यायालय

आई. पी. सी. की धारा 34 पर लागू निम्नलिखित सिद्धांतों को स्पष्ट और निर्धारित किया थाः

“13. धारा 34 को आपराधिक कार्य करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर अधिनियमित किया गया है।धारा केवल साक्ष्य का एक नियम है और एक ठोस अपराध पैदा नहीं करती है। इस खंड की विशिष्ट विशेषता कार्रवाई में भागीदारी का तत्व है।कई व्यक्तियों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के दौरान दूसरे द्वारा किए गए अपराध के लिए एक व्यक्ति का दायित्व धारा 34 के तहत उत्पन्न होता है यदि ऐसा आपराधिक कार्य अपराध करने में शामिल होने वाले व्यक्तियों के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है।सामान्य इरादे का प्रत्यक्ष प्रमाण शायद ही कभी उपलब्ध होता है और इसलिए, इस तरह के इरादे का अनुमान केवल मामले के सिद्ध तथ्यों और सिद्ध परिस्थितियों से ही लगाया जा सकता है।समान इरादे के

आरोप को घर लाने के लिए, अभियोजन पक्ष को साक्ष्य द्वारा, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परिस्थितिजन्य, यह स्थापित करना होगा कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों की उस अपराध को करने की योजना या मन की बैठक थी, जिसके लिए उन पर धारा 34 की सहायता से आरोप लगाया गया है, चाहे वह पूर्व-व्यवस्थित हो या पल भर में; लेकिन यह आवश्यक रूप से अपराध के आयोग के समक्ष होना चाहिए।धारा की वास्तविक सामग्री यह है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति जानबूझकर संयुक्त रूप से कोई कार्य करते हैं, तो कानूनी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि उनमें से प्रत्येक ने इसे व्यक्तिगत रूप से किया हो।जैसा कि अशोक कुमार बनाम पंजाब राज्य (ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 109) में देखा गया है, अपराध में प्रतिभागियों के बीच एक सामान्य इरादे का अस्तित्व इस धारा को लागू करने के लिए आवश्यक तत्व है।यह आवश्यक नहीं है कि संयुक्त रूप से अपराध करने के लिए आरोपित कई व्यक्तियों के कार्य समान या समान रूप से समान होने चाहिए।अधिनियम चरित्र में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन प्रावधान को आकर्षित करने के लिए एक ही सामान्य इरादे से प्रेरित होना चाहिए।"

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

राजेश कुमार (ऊपर) में तथ्यों का उल्लेख करने के बाद, दोषसिद्धि को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 326 के तहत भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302 से एक में परिवर्तित कर दिया गया था, इस तथ्यात्मक स्थिति को उजागर करते हुए कि आरोपी ने पीड़ित पर एक गैर-महत्वपूर्ण भाग पर डंडा से हमला किया था।

12 (2008) 15 एससीसी 705

एच.

17. पुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु द्वारा अरुण बनाम राज्य में, 13

हरदेव सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य 14 में निर्णय का संदर्भ दिया गया था और अभियुक्तों में से एक को लाभ दिया गया था क्योंकि उसने हत्या करने में दूसरों के साथ मिलकर काम नहीं किया था।इस न्यायालय ने संदर्भित किया

धरम पाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, परीक्षण पर 15 जो

भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के तहत सह-अभियुक्त को बुलाने और दोषी ठहराने के लिए आवेदन किया जाना चाहिए। हम उक्त परीक्षण को पुनः प्रस्तुत करना भी उचित समझते हैं:

बी.

"14. ऐसा हो सकता है कि जब कुछ व्यक्ति एक छोटे से अपराध को करने के लिए पूर्व-निर्धारित योजना के साथ शुरुआत करते हैं, तो वे छोटे अपराध को करने के दौरान बड़े अपराध को करने के लिए भी समझ में आ सकते हैं।ऐसी समझ उन व्यक्तियों के आचरण से प्रकट हो सकती है जिन्हें मुख्य अपराधी के कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए या किसी अन्य दोषपूर्ण साक्ष्य से लेकिन आचरण या अन्य साक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि उस ओर से संदेह के लिए कोई जगह न छोड़ें।

सी.

15. प्रत्यावर्ती दायित्व निर्धारित करने वाले आपराधिक न्यायालय को मुख्य अपराधी और उसके साथियों के मन की पूर्व बैठक के रूप में खुद को संतुष्ट करना चाहिए, जिन्हें पूर्व द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के संबंध में रचनात्मक रूप से उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।हमारी जानकारी में ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह बताता हो कि मुख्य अपराधी के साथ जाने वाला व्यक्ति हर उस कार्य के संबंध में अपने इरादे को साझा करता है जो अपराधी अंततः कर सकता है।साझा इरादे का अस्तित्व या अन्यथा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।मुख्य अपराधी और उसके साथियों का किसी भी व्यक्ति से निपटने का इरादा जो झगड़े को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, मुख्य अपराधी के साथ आने वाले व्यक्तियों के आचरण या किसी अन्य स्पष्ट और ठोस साक्ष्य से स्पष्ट होना चाहिए।ऐसी सामग्री के अभाव में, साथी या साथी को मुख्य अपराधी द्वारा किए गए प्रत्येक अपराध के लिए उचित रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।"

डी.

ई.

एफ.

18. भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 अपराध में भाग लेने वाले सह-अपराधी को संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर समान रूप से उत्तरदायी बनाती है।धारा 34 के लागू होने के लिए सह-अपराधियों के बीच सामान्य इरादा होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उद्देश्य का समुदाय होना चाहिए।

जी.

13 (2008) 15 एससीसी 501 14 (1975) 3 एससीसी 731 15 (1978) 4 एससीसी 440 ए

और सामान्य डिजाइन या पूर्व-व्यवस्थित योजना।हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सह-अपराधियों को किसी भी चर्चा, समझौते या मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए था।धारा 34 के लागू होने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि आपराधिक कार्य किए जाने से पहले योजना को पूर्व-व्यवस्थित या काफी समय के लिए तैयार किया जाना चाहिए।वास्तविक कार्य होने से ठीक एक मिनट पहले सामान्य इरादा बनाया जा सकता है।सामान्य इरादा अनिवार्य रूप से एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है क्योंकि इसके लिए मन की पूर्व बैठक की आवश्यकता होती है।ऐसे मामलों में, प्रत्यक्ष साक्ष्य आम तौर पर उपलब्ध नहीं होंगे और ज्यादातर मामलों में, एक सामान्य इरादा मौजूद है या नहीं, यह साबित तथ्यों से निष्कर्ष निकालकर निर्धारित किया जाना चाहिए।इसके लिए घटना के समय और बाद में सह-प्रतिभागियों या अपराधियों के पूर्ववृत्त, आचरण की जांच की आवश्यकता होती है।जिस तरह से अभियुक्त आया, हमला किया, चोटों की प्रकृति और प्रकार, सह-अभियुक्तों/अपराधियों का उपयोग किया गया हथियार, आचरण या कार्य, घटना या हमले के पीछे का उद्देश्य आदि सभी प्रासंगिक तथ्य हैं जिनसे इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के तत्व संतुष्ट हैं या नहीं।हमें याद रखना चाहिए कि भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 सह-अपराधियों के खिलाफ लागू होती है क्योंकि उन्होंने मूल या मुख्य कार्य नहीं किया है, जो किया/किया गया है या मुख्य अपराधी या अपराधी को जिम्मेदार ठहराया गया है।जहाँ कोई अभियुक्त मुख्य या अंतिम अपराधी है, वहाँ भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 का सहारा लेना आवश्यक नहीं है क्योंकि उक्त अपराधी स्वयं चोट/अपराध के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है।एक व्यक्ति अपने स्वयं के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है।धारा 34 या सामान्य इरादे के सिद्धांत को अन्य सह-प्रतिभागियों पर संयुक्त दायित्व को लागू करने और मजबूत करने के लिए लागू किया जाता है।इसके अलावा, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 में अभिव्यक्ति/शब्द "आपराधिक कार्य" शारीरिक कार्य को संदर्भित करता है, जो सह-अपराधियों/प्रतिभागियों द्वारा प्रभाव, परिणाम या परिणाम से अलग किया गया है।दूसरे शब्दों में, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 में निर्दिष्ट अभिव्यक्ति "आपराधिक कार्य" "अपराध" से अलग है।उदाहरण के लिए, यदि ए और बी ने एक्स पर लाठी चलाई, तो आपराधिक कार्य लाठी चलाने का है, जबकि किया गया अपराध हत्या, गैर-इरादतन हत्या या साधारण या गंभीर चोटों का हो सकता है।अभिव्यक्ति "सामान्य इरादा" को भारतीय दण्ड संहिता सी. के तहत कई अपराधों के एक आवश्यक घटक के रूप में "इरादा" या "पुरुष अधिकार" के साथ भी भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। इरादा अपराध का एक घटक हो सकता है और यह एक व्यक्तिगत मामला है।कुछ अपराधों के लिए, मानसिक इरादे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज्ञान पर्याप्त है और आवश्यक पुरुष अधिकार

का गठन करता है।उक्त अपराध के लिए भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 भी लागू की जा सकती है।सामान्य इरादा सामान्य डिजाइन या सामान्य इरादा है, जो उद्देश्य या उद्देश्य के समान है।यह वह है

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

आपराधिक कृत्य बनाने वाले व्यक्तिगत प्रतिभागी द्वारा सभी कृत्यों को करने के पीछे का कारण या उद्देश्य।कुछ मामलों में, इरादा, जो अपराध का घटक है, सह-अपराधियों के सामान्य इरादे के समान हो सकता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है।

19. भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 "सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कार्य" अभिव्यक्ति का भी उपयोग करती है।इसलिए, प्रत्येक मामले में जब धारा 34 लागू की जाती है, तो यह जांच करना आवश्यक है कि क्या आरोपित आपराधिक अपराध प्रतिभागी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था।यदि आपराधिक अपराध स्पष्ट रूप से दूरस्थ है और सामान्य इरादे से असंबद्ध है, तो धारा 34 लागू नहीं होगी।हालाँकि, यदि किया गया या किया गया आपराधिक अपराध जिम्मेदार ठहराया जा सकता था या मुख्य रूप से जुड़ा हुआ था या पूर्व/समकालीन जुड़ाव का एक ज्ञात या यथोचित रूप से संभव परिणाम था या सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपसी सहमति की अभिव्यक्ति थी, तो यह सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किए गए कार्य के दायरे और दायरे में आएगा।इस प्रकार, "आगे बढ़ना" शब्द एक व्यापक दायरे का प्रस्ताव करता है लेकिन इसे क़ानून के इरादे और उद्देश्य से परे विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए।अपराध पर रसेल, (10 वां संस्करण पृष्ठ 557) ने "आगे बढ़ाने" शब्द की जांच करते हुए कहा था कि यह "आगे बढ़ने में मदद करने की कार्रवाई" को संदर्भित करता है और "यह भविष्य में प्रभाव पैदा करने वाली किसी प्रकार की सहायता या सहायता का संकेत देता है" और "किसी भी कार्य को अंतिम अपराध को आगे

बढ़ाने के लिए किया गया माना जा सकता है यदि यह उस अपराध को प्रभावित करने के उद्देश्य से जानबूझकर उठाया गया कदम है।" एक ऐसा कार्य जो सामान्य इरादे से परे है या इसके विरोध में किया जाता है और सामान्य इरादे को पूरा करने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, उसे सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

20. जब हम वर्तमान मामले के तथ्यों पर भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 की प्रयोज्यता से संबंधित उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि थिम्मप्पा और गोपाल इस आधार पर संदेह के लाभ के हकदार हैं कि यह निश्चित रूप से नहीं माना जा सकता है कि उनका उद्देश्य समान था, अर्थात वेंकटरामा के गिरने के बाद कृष्णमूर्ति द्वारा उन्हें दी गई चोटें।इसके बाद उन्होंने शारीरिक रूप से हमला करके या वेंकटरामा को कोई चोट पहुँचाकर भाग नहीं लिया।उन्होंने कृष्णमूर्ति को उस हमले में सहायता और सहायता नहीं दी जो उन्होंने जारी रखा था।हमारे पास यह स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है कि वे कृष्णमूर्ति द्वारा किए गए क्रूर हमले की पूर्व-कल्पना कर सकते थे, जिसने गर्दन पर घुटने रखे थे और मृतक की छाती पर कूदकर उसकी मौत का कारण बना था।हम यह नहीं मान सकते कि इन दोनों अभियुक्तों ने परिणाम ए को पूर्व नियोजित किया होगा।

एफ.

जी.

एच.

यह तब हुआ जब कृष्णमूर्ति ने अपने तरीके से व्यवहार किया और व्यवहार किया।स्पष्ट रूप से, वे कृष्णमूर्ति के साथ तब शामिल नहीं हुए थे जब उन्होंने अभिनय किया था और खड़े रहे हैं। इस बात का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि उनके कार्य, यानी हाथ पकड़ना और मृतक के पैरों को खींचना जिससे वह नीचे गिर गया, इस सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किए गए थे कि कृष्णमूर्ति इसके बाद मृतक की गर्दन पर अपना पैर रखेंगे, उसकी छाती को कुचल देंगे और पसलियों को तोड़ देंगे।हम अपीलार्थीगण थिम्मप्पा और गोपाल के पक्ष में यह मानेंगे कि उनके कृत्यों को मुख्य रूप से कृष्णमूर्ति द्वारा की गई हिंसा से नहीं जोड़ा जा सकता

है।थिम्मप्पा और गोपाल के कृत्यों को देखते हुए, कृष्णमूर्ति द्वारा हमला और परिणामी परिणाम अप्रत्याशित थे।हम यह मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं कि इन दोनों अभियुक्तों को अंतिम परिणाम का पता होना चाहिए था, या यह उन्हें पता था, या यह पूर्व-समारोह/समकालीन जुड़ाव का एक उचित रूप से संभव परिणाम था या एक सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपसी सहमति की अभिव्यक्ति थी।इसलिए, हम उन्हें भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 300 या यहां तक कि धारा 299 के तहत अपराध के लिए इस आधार पर दोषी नहीं ठहराएंगे कि उन्होंने भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के आवेदन पर समझे गए सामान्य इरादे को साझा किया।

बी.

सी.

डी.

21. नतीजतन, हम उनकी दोषसिद्धि को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 323 के तहत परिवर्तित करते हैं और हम उन्हें उसमें निर्दिष्ट अधिकतम एक वर्ष की सजा देंगे।हम भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 447,504,506 और 341 के तहत व्यक्तिगत अपराधों के लिए थिम्मप्पा और गोपाल की दोषसिद्धि और उपरोक्त धाराओं के तहत लगाई गई सजा को भी बरकरार रखते हैं, जो तीन साल तक के कठोर कारावास और चूक शर्तों के साथ जुर्माना है।

ई.

22. समापन से पहले, हम अपीलार्थीगण द्वारा उठाए गए द्वितीयक तर्क का उल्लेख करना चाहेंगे कि किशोर 'ए' को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था और इसलिए, अपीलार्थीगण समानता के आधार पर बरी होने के हकदार हैं।साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 40 से 44 को देखते हुए इस तर्क को खारिज किया जाना है।विशेष रूप से, धारा 43 में कहा गया है कि धारा 40 से 42 में उल्लिखित निर्णयों के अलावा अन्य निर्णय अप्रासंगिक हैं जब तक कि उस निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व एक तथ्य नहीं है या इस अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधानों के तहत प्रासंगिक है। हमने इस अपील का फैसला आरोप पत्र में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत और नेतृत्व किए गए साक्ष्य के आधार पर किया है।हम इस अपील का निर्णय अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य और सामग्री के आधार पर नहीं कर सकते हैं जो स्वतंत्र और अलग कार्यवाही थी।उसमें अभिलिखित निष्कर्ष, तर्क और निष्कर्ष हमारे समक्ष अपील में नहीं हैं।

एफ.

जी.

एच.

23. चूंकि थिम्मप्पा और गोपाल जमानत पर हैं और उन्होंने सजा नहीं झेली है, इसलिए वे आज से एक महीने की अवधि के भीतर आत्मसमर्पण कर देंगे।यदि वे आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दंडात्मक कदम उठाएगी ताकि शेष सजा भुगतनी पड़े।कृष्णमूर्ति को दी गई सजा को बिना किसी और शर्त के आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाएगा।यह निर्देश कि आजीवन कारावास प्राकृतिक जीवन के अंत तक होगा, यह दर्शाने के लिए कि कृष्णमूर्ति लागू नीति के अनुसार समय से पहले रिहाई/छूट के हकदार नहीं होंगे, को दरकिनार कर दिया गया है।इस शर्त को लागू करने का कोई कारण और औचित्य नहीं है।अपीलार्थीगण को दी गई सजाएं साथ-साथ चलेंगी।अपीलार्थीगण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 428 के लाभ के हकदार होंगे।

बी.

सी.

24. तदनुसार, अपील की उपरोक्त शर्तों में आंशिक रूप से अनुमति है।

देविका गुजराल

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.